Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

CNR NUMBER 2021/173

Number of Case A/308/Year 2024

ओमप्रकाश Versus छत्तरसिंह व अन्य

U/S- 212 R.T.A 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
7/04/26	पत्रावली पेश हुई वकील उपस्थित व वकील बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A 1955 पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश सुनाने हेतु आयंदा दिनांक - 22/04/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
22/4/26	पत्रावली पेश हुई वकील उप. पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील पर मनन किया गया तथा विधि प्रावधानों का अध्ययन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भली-भांति प्रमाणित न होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर दाखिल दफ्तर हो। नक्कल ले कर (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर (मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर, सत्यमेव जयते)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. : A/307/2024 (GCMS No 2021/177)

– : : अनवान् : : –

प्रार्थी :–

श्री ओमप्रकाश कांकरिया पुत्र श्री जवरीलाल उम्र 65 वर्ष, जाति काकरिया ओसवाल, निवासी 33 बी, शक्ति नगर, दूसरी सड़क, पावटा सी रोड, जोधपुर।

– : बनाम् : –

अप्रार्थीगण :–

1. छत्तरसिंह पुत्र श्री तेजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर।
2. श्रीमती उगम कंवर उर्फ मुनी कंवर पत्नी श्री छत्तर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर।
3. नाथुसिंह पुत्र श्री छत्तरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर।
4. नारायण सिंह पुत्र श्री छत्तरसिंह, जाति राजपूत, निवांसी ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर।

– : : निर्णय : : – दिनांक : 22.04.2026

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्तागण –

1. श्री अक्षय कुमार दवे, नवीन शर्मा, मनोहरसिंह व संजना धाणदिया अधिवक्तागण प्रार्थीनी
2. श्री प्रताप सिंह राठौड़, ईश्वर सिंह व मिनाक्षी अधिवक्तागण अप्रार्थी सं. 01 से 04

उपरोक्तानुसार प्रार्थी/वादी ने जरिये अधिवक्तागण एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है कि –

प्रार्थी की खातेदारी की कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि वाके खसरा नं 94/6 ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है जिस भूमि के पूर्व खातेदार काश्तकार श्री गणपत सिंह पुत्र श्री गोपाराम, जाति माली एवं श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री अम्बालाल थे। श्री गणपसिंह द्वारा स्वयं एवं गिरधारी लाल के आम मुख्त्यार की हैसियत से उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि रकबा 141 बीघा 6 विस्वा 16 बिस्वांसी में से कुल 2 चक, चक संख्या 11 व 12 की कुल भूमि 2138.12 वर्गफुट

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

भूमि का विधिवत रूप से दिनांक 29/5/2013 को विक्रय विलेख के जरिये विक्रय कर उसका कब्जा भी प्रार्थी को बरवक्त विक्रय सुपुर्द कर दिया, तब से प्रार्थी अपनी खरीदसुदा उपरोक्त 2269 वर्गफुट भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज है। पूर्व खातेदार द्वारा अपनी उपरोक्त खसरा नं 94/6 ग्राम देसुरिया खारोलान की सम्पूर्ण भूमि को रास्ते की भूमि छोड़ते हुए चक में विभाजित करते हुए विक्रय किया गया था जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चक संख्या 11 व 12 कुल रकबा 2138.12 वर्गफुट खरीद की गई थी। अप्रार्थी संख्या दो स्वयं को खसरा नं 94/6 की कृषि भूमि की उत्तरी दिशा की खातेदार दर्शा रही है एवं स्वयं के हिस्से की भूमि मूल खसरा नं 6 होना बता रही है। अप्रार्थी संख्या एक अप्रार्थी संख्या दो का पति है एवं बकाया अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक व दो के पुत्र है, जो आपस में षड़यंत्र कर प्रार्थी की भूमि हड़पने की फिराक में है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि के पश्चात् उत्तर दिशा में खसरा संख्या 94/6 के दीगर क्रेतागण की खरीदसुदा की भूमि है जिस पर उक्त क्रेतागण द्वारा अपने रहवासीय एवं अन्य ठाव भी बने हुए है जिस भूमि पर वे व्यक्ति काबिज है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है। खसरा नं 94/6 बाबत् अप्रार्थीगण का आज दिन तक किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं रहा है। उपरोक्त खातेदारी की वादग्रस्त भूमि के उत्तर पूर्व में सम्पूर्ण भूमि पर सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी कर रखा है। अप्रार्थीगण अवैध व अनाधिकार रूप से प्रार्थी की खरीदसुदा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। इसी सिलसिले में अप्रार्थीगण ने एकराय होकर हमला बोल दिया एवं पूर्व से सुरक्षा की दृष्टि निर्मित दीवार को भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को उसके पुत्र श्री दीपक जैन के जरिये दिनांक 25/7/2021 को हुई। जिस बाबत् प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र दीपक जैन के जरिये एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 101 दिनांक 25/7/2021 पुलिस थाना करवड़ में दर्ज करवाई। अप्रार्थीगण द्वारा की गई उपरोक्त अवैध कार्यवाही के बाबत् प्रार्थी द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया था कि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध व अनाधिकार रूप से वादग्रस्त भूमि पर स्थित दीवार तोड़ दी है तथा निर्माण सामग्री चोरी करके लेकर चले गये है जिससे प्रार्थी एवं दीगर क्रेतागण को करीब 20,000/– रूपये का नुकसान भी हुआ है। अप्रार्थीगण को समझाइश करने का प्रयास किया गया किन्तु अप्रार्थीगण अत्यधिक आकोशित होकर प्रार्थी एवं उसके परिवार के व्यक्तियों के साथ लड़ाई–झगड़ा व दंगा–फसाद करने लगे। अप्रार्थीगण आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है जो संख्या बल में अधिक होने के कारण प्रार्थी उनका सामना नहीं कर सकता। अप्रार्थीगण प्रार्थी की किसी प्रकार की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण खसरा नं 6 की भूमि दर्शाकर स्वयं को उसका खरीददार बता रहे हैं तथा अवैध व अनाधिकार रूप से प्रार्थी की खसरा नं 94/6 की 2138.12 वर्गफुट भूमि से प्रार्थी को बेदखल

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर

करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को भूखण्डों में विभाजित कर खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। प्रार्थी के बार–बार निवेदन पर भी अप्रार्थीगण नहीं मान रहे हैं। अप्रार्थी संख्या एक स्वयं एक आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसके पास काफी मात्रा में असामाजिक तत्व भी है जिनके सहयोग से वह किसी भी समय वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर सकते है व निर्माण कार्य कर सकते हैं जिसकी धमकियां अप्रार्थीगण प्रार्थी को दी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास यह वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी के हक में सुदृढ़ प्रथम दृष्टया वाद सिद्ध है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि या उसके किसी हिस्से पर अवैध व अनाधिकार रूप से कब्जा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे अप्रार्थीगण स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार मुख्त्यार एजेन्ट ठेकेदार या मजदूर अथवा अन्य किसी के द्वारा प्रार्थी की खसरा नं 94/6 ग्राम देसुरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर की खरीदसुदा भूमि जिसके पड़ोस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में उल्लेखित किये गये है, कि भूमि या उसके किसी हिस्से पर कोई दखलअन्दाजी हस्तक्षेप निर्माण कार्य व हस्तान्तरण ना तो स्वयं करे एवं ना ही अन्य के मार्फत करावे। हर्जा खर्चा दीगर दादरसी लाभप्रद प्रार्थी अप्रार्थीगण से दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रताप सिंह राठौड़, ईश्वर सिंह एवं मिनाक्षी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी सं. 01 से 04 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि –

पद संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में जरूर पेश किया है जो गलत तथ्य पेश किया है जिसे उसे सफलता मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। पद संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है प्रार्थी का कोई कब्जासुदा खेत वाके देसुरिया में नहीं आया हुआ है। गणपतसिंह ने 141 बीघा भूमि का किस किस को बेचान किया उसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है गणपत सिंह के खेत में कितनी भूमि थी इसकी जानकारी भी अप्राथीगण को नही है, मौके पर इस प्रकार की भूमि नहीं है और न ही प्रार्थी का कब्जा काश्त है मौके पर यह भूमि खेत खसरा संख्या 6 अप्रार्थीगण संख्या 2 के खातेदारी की है जिस पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है जिसके चारों और सीमा सुरक्षित की हुई है और आज दिन भी मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 2 काबिज है तथा मौके पर 94/6 नक्शे में कही दर्ज नही है। प्रार्थी का कभी भी मौके पर कब्जा काश्त नही था ना ही आज दिन है। बिना कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नही होने से काबिले खारिज है। पद संख्या 3 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत होने से अस्वीकार किया जाता है मौके पर खसरा संख्या 94/6 नहीं है

इस खेत को चक में विभाजित कर किस किस बेचा इसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नही है तथा मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 2 अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6 पर काबिज है केवल तंग परेशान करने के लिए वाद पेश किया है इस पद में जो पडौस अंकित किए है वो गलत है उक्त खेत मौके पर मेल नहीं खाते मौके पर कोई भी चक आज दिन तक मौजुद नही है गणपसिंह की पत्नी ने भी एक वाद न्यायालय हाजा में पेश किया है जिसने सम्पूर्ण भूमि अपनी बताई है तथा मौके पर सडक 200 फीट चौडी है प्रार्थी द्वारा जो खेत खसरा संख्या 94/6 मुख्य मण्डोर रोड पर बताया गया है वहां पर यह खसरा नही है प्रार्थी ने जो जगह बताई है वहां पर खेत संख्या 6 की भूमि आई हुई है। तथा उस पर अप्रार्थीगण उगम कंवर रेकर्ड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा उसमें दुकाने बनी है बिजली का बिल भी उगम कंवर के नाम से है तथा हल्का पटवारी द्वारा उगम कंवर की खतेदारी व कब्जा माना है तथा खेत खसरा संख्या 94/6 मौके पर नही है और न ही ट्रेस नक्शे में अंकित है फिर भी प्रार्थी गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया जो चलने योग्य नही होने से खारिज किए जाने योग्य है। पद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है मौके पर खेत खसरा संख्या 6 की भूमि आई हुई है जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 02 खातेदार काबिज काश्तकार है जिसमें करीब 18 बीघा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 02 उगम कंवर के नाम से है प्रार्थी गलत तथ्यों को बताकर अप्रार्थीगणकी भूमि हड़पना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नही है पी डब्ल्यू डी द्वारा सड़क चौडी होने पर उसका मुआवजा अप्रार्थीगण संख्या 2 उगम कंवर को किया था शेष सम्पूर्ण तथा गलत अंकित किए गए है। तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर अप्रार्थीया उगम कंवर का कब्जा माना है तथा खसरा संख्या 94/6 किस जगह आया हुआ वह ट्रेस नक्षे में अंकित नहीं होने से नहीं बताया जा सकता कि किसकी भूमि कहां पर है कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा का काबिले खारिज है। पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है मौके पर इस प्रकार की कोई भूमि खेत खसरा संख्या 94/6 की नही आई हुई है और नही कोई रहवासीय ढाणी बनी है तथा न ही मौके पर प्रार्थीनी काबिज है अप्रार्थीगण संख्या 2 रेकर्ड खातेदार है जब जोधपुर से नागौर रोड का विस्तार हुआ है उसमें भी नागौर रोड पर जमीन एक्यूर की गयी थी उसमें भी खेत खसरा संख्या 6 अप्रार्थीगण संख्या 2 की आई हुई है तथा उसमें भी मुआवजा भी उगम कंवर को मिला था इससे नागौर रोड पर प्रार्थी का कोई खेत खसरा संख्या 94/6 नही आया हुआ है। तथा भूखण्डों की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है। पद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है उत्तर पूर्व में किसी प्रकार की कोई बाउण्ड्री वॉल का निर्माण नहीं है इस पद में यह तथ्य गलत अंकित किए गए है केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 2 को जमीन हडपने के लिए वाद पेश किया गया है जो भूमि बताई गई वो खेत खसरा संख्या 6 है। पद संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है कि इस भूमि में प्रार्थी का कही कोई कब्जा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम)
सत्यमेव जयते
जोधपुर

सहायक कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

काश्त नही रहा या गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था अप्रार्थीगण संख्या 2 के विरूद्ध किसी प्रकार कोई मुकदमा नही है अप्रार्थीगण संख्या 2 खेत के खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है प्रार्थी मौके पर काबिज नही है और न ही उनकी कोई भूमि वहां पर आई हुई है। पद संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण ने कभी कोई लडाई झगडा नही किया जावें। प्रार्थी एवं उसके परिवार वालो ने लडाई झगडे किए जिस सम्बन्ध में मुकदमें भूमि काबिज में विचाराधीन है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस पद में लिखी गई भाषा गलत है जब कि अप्रार्थीगण अपने गावं का भूतपूर्व सरपंच है तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है जो अशोभनीय है मौके पर अप्रार्थीगण की दुकाने व बाउण्डी बनी हुई है तथा काबिज है तथा उक्त भूमि में सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है तथा उनको पक्षकार नही बनाया गया है धारा 211 राज का अधि के प्रावधानो के तहत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश करने पर सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया है इन आधार पर वाद खारिज किए जाने योग्य है। पद संख्या 9 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टया वाद नही है और नही सुविधा का संतुलन की प्रार्थी के पक्ष में है और न ही मौके पर प्रार्थी काबिज है इसलिए अपूर्ण क्षति का प्रश्न पैदा नही होता जिसकी अप्रार्थीगण संख्या 2 काबिज काश्तकार खातेदार है मौके पर दुकाने बनी हुई है बिजली का बिल अप्रार्थीगण संख्या 2 के नाम है तथा पीडब्ल्यूडी से अप्रार्थी संख्या 02 को मुआवजा मिला था इसलिए प्रथम दृष्ठया मामला सुविधा का संतुलन अपूर्णीय हानि अप्रार्थीगण संख्या 2 के पक्ष में है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्ज खर्चे को खारिज फरमायें तथा अन्य उचित आदेश हो अप्रार्थीगण के पक्ष में अता फरमावें।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय दस्तावेजात् व जवाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन, अवलोकन किया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :–

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि वादी/प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम देसूरिया खारोलान, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 94/6 में से चक संख्या 11 व 12 की कुल भूमि 2138.12 वर्गफुट भूमि के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 188 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण निम्नलिखित तीन तत्वों को सिद्व करें :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया यह परीक्षण किया जाना आवश्यक है कि क्या वादी अपने पक्ष में ऐसा प्रारंभिक अधिकार एवं कब्जा सिद्व कर पाया है, जिससे उसे अंतरिम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

संरक्षण दिया जा सके। अभिलेखों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या के संबंध में स्पष्ट, सुसंगत एवं निर्विवाद विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि की स्थिति, सीमाएं तथा वास्तविक कब्जे के संबंध में वादी के कथनों में विरोधाभास एवं अस्पष्टता विद्यमान है। इसके विपरीत, अप्रार्थीगण द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि वे विवादित भूमि पर कब्जाधारी हैं तथा उनके पक्ष में राजस्व अभिलेख एवं मौके की स्थिति भी परिलक्षित होती है। अतः वादी द्वारा प्रथम दृष्टया कोई ठोस एवं सशक्त अधिकार स्थापित नहीं किया गया है। फलतः वादी का मामला प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– सुविधा के संतुलन का सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि न्यायालय यह देखे कि अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश देने अथवा न देने से किस पक्ष को अधिक हानि अथवा असुविधा होगी। वर्तमान प्रकरण द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा यह कथन किया कि वे लंबे समय से भूमि पर काबिज हैं तथा उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि वादग्रस्त आराज़ी पर उनका कब्ज़ा होना प्रतीत होता हो। यदि इस अवस्था में वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो इससे अप्रार्थीगण के वर्तमान कब्जे एवं उपयोग में अनावश्यक हस्तक्षेप होगा, जिससे उन्हें अधिक हानि पहुंचेगी। वहीं वादी के अधिकारों का अंतिम निर्धारण मुख्य वाद के निर्णय पर निर्भर है। अतः सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में अधिक प्रतीत होता है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– अपूरणीय क्षति के तत्व के अंतर्गत यह आवश्यक है कि वादी यह प्रदर्शित करे कि यदि अंतरिम राहत प्रदान नहीं की जाती है, तो उसे ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा ऐसी कोई ठोस परिस्थिति स्थापित नहीं की गई है जिससे यह निष्कर्ष निकले कि उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपूरणीय क्षति का तत्व भी वादी के पक्ष में स्थापित नहीं होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक परीक्षण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक तीनों आधारभूत तत्वों – प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति – को स्थापित करने में असफल रहा है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भंली–भांति साबित नही होने एवं सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् समझते है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) सत्यमेव जयते जोधपुर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जोधपुर

: : आदेश : :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भंली–भांति साबित नहीं होने एवं सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या एक से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मधुलिका सींवर)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मधुलिका सींवर)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर